



सांसद जगदंबिका पाल के नेतृत्व में जनपद में प्रथम आगमन पर उपमुख्यमंत्री का हुआ भव्य स्वागत

ग्राम पंचायत समोगरा में लगा उप मुख्यमंत्री का ग्राम चौपाल



जनपद के वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम मिश्रा ने किया उप मुख्यमंत्री का स्वागत

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर | रविवार को जनपद सिद्धार्थनगर में प्रथम बार

निरीक्षण करने आए

उत्तर प्रदेश सरकार

के उपमुख्यमंत्री एवं

स्वास्थ्य मंत्री बृजेश

पाठक का जिला

भाजपा कार्यालय में

चल रहे संगारत्सक

बैठक में जनपद के

वरिष्ठ भाजपा नेता

एवं भाजपा जिला

उपाध्यक्ष घनश्याम

मिश्रा ने अंग वस्त्र और स्मृति विन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन किया।

घनश्याम मिश्रा ने उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक से

जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजनाएं को चालू करावाने की

मांग की साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को हो रही रपेशनियों से भी

अवगत कराया। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने जिला

उपाध्यक्ष घनश्याम मिश्रा के बातों को नोट करते हुए जल्द ही समाप्त

ग्राम पंचायत सदस्य सब्लू साहनी ने

उपमुख्यमंत्री का किया स्वागत

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर | जिला पंचायत सदस्य सब्लू साहनी ने

उपमुख्यमंत्री एवं

स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक को

समीक्षा बैठक के

दौरान स्मृति विन्ह भेट कर

स्वागत व अभिनंदन किया

साथ ही जिला

पंचायत सदस्यों को आ रही

रपेशनियों से अवगत कराया सब्लू साहनी ने मांग करते हुए कहा

कि बर्डपुर और लोटन क्षेत्र में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है

उसे जल्दी ही ठीक कराएं साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को किसी

प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसके लिए अधिकारियों को

निर्देशित करें। उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने

सबलू साहनी को आशासन देते हुए कहा कि भाजपा सरकार में

किसी भी जिला पंचायत सदस्य को परेशानी नहीं होनी होगी हर कोई

का अपना काम सही ढंग से करेगा। साथ ही अधिकारियों को

निर्देशित किया जाएगा की भाजपा के किसी कार्यकर्ता को वह

परेशान ना करें।

उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने छात्राओं के साथ चलाया कंप्यूटर

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर | रविवार को

निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री

एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पां दीनदयाल

उपाध्याय उप मुख्यमंत्री बृजेश

पाठक ने कस्टरूवा गांधी विद्यालय,

विकास खण्ड मिट्टवल का निरीक्षण किया गया।

सम्पादकीय

वैसी कोई स्वतंत्र व्यवस्था
बनाए जाने की उम्मीद
भारत में नहीं करनी
चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट
पहल करके ऐसा कोई
निकाय बनाए, जो
नफरत फैलाने और
मानवता विरोधी खबरों पर
कार्रवाई करे और चौनलों
पर भारी जुर्माना लगाए
तब तो कुछ हो सकता है।
अन्यथा सरकार क्यों इसे
रोकेगी, जब उसको ...



संदेह नहीं समस्या की जड़ है सरकार। और उसकी जड़ है सत्तारुढ़ दल की बोट राजनीति। उसी की वजह से नफरत मुख्य धारा का राजनीतिक विमर्श है टीवी चैनल का नंबर बाद में आता है। वे सत्तारुढ़ दल के एजेंडे के प्रचार-प्रसार का महज माध्यम हैं। मिसाल के तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संवित पात्रा का एक ट्रिवट है। इसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्र में राहुल गांधी के साथ एक मुस्लिम बच्ची के चलने पर किया। राहुल की यात्रा में हर धर्म के लोग जुड़े हैं। उसी में एक मुस्लिम बच्ची उनके साथ थी, जिसका हाथ पकड़ कर वे चल रहे थे तो संवित पात्रा ने ट्रिवट किया कि तुष्टिकरण की राजनीति! सोचे, जब सत्तारुढ़ दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता एक छह-आठ साल की बच्ची को लेकर इस तरह की नफरत वाली बात कहे तो क्या समझ नहीं आएगा कि राष्ट्र चरित्र हो गया है? भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह की बात कई बार उन्हें इस तरह की चीजें चलाने को कहा जाएगा कि वे चलते ऐसी खबरें चलाते हैं। यह बहुत दुखद है कि अपना कर उसी में ढल गए हैं? न्यूज दिखाते और बताते पत्रकार उसी एजेंडे में रंग गए हैं। वे किसी मजबूती

रहे हैं, बल्कि वे भी इसी तरह से सोचने लगे हैं। उनको लग रहा है कि वे राष्ट्र का या हिंदू समाज का, इनके नए चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए समस्या मीडिया की नहीं है, बल्कि सरकार और सत्तारूढ़ दल की है। वह वोट और चुनावी लाभ के लिए हिंदू-मुस्लिम की सदियों पुरानी ग्रथि को भुना रहा है, उभार रहा है। उसे मुख्यधारा की मीडिया में बहस का मुद्दा बना दे रहा है। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शविजुअल मीडिया हेट स्पीच का मुख्य माध्यम हैं और शस्रकार मूकदर्शक बन कर नहीं रह सकती हैं तो यह पूरी तर्सीर नहीं है। सरकार ने ही विजुअल मीडिया को नफरत फैलाने का मुख्य माध्यम बनाया है। अगर उसके हाथ में इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती है तो समस्या कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटेन की मिसाल दी, जहां नफरत फैलाने वाली खबर चलाने पर चौनल के ऊपर मोटा जुर्माना लगता है। वैसी कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट पहल करके ऐसा कोई फैलाने और मानवता विरोधी खबरों पर कार्रवाई करे और चौनलों पर कोई कुछ हो सकता है। अन्यथा सरकार क्यों इसे रोकेगी, जब उसको मेलता है? खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है चौनल हेट स्पीच को बढ़ावा दा इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सभी पार्टियां इस्तेमाल नहीं करती हैं। हेट एक-दो ही हैं और वे कौन हैं, यह जगजाहिर है।

नफरत की जड़ है वोट राजनीति

मेरी मां

मुझे लगता था तु झूठ तु फरेब है,
तेरे मे शक्ति नहीं तु बड़ी शक्तिहीन है।
पसारा था पाऊँ अपना पापों मे,
सना था हाथ मेरा दुर्गुड़ों के नाले मे।
तु आती थी चली जाती थी कदर नहीं थी तेरी,
जरा सा कस्ट क्या दिया आँखें खुल गयी मेरी।
तु प्रेम अगाध करती है वो मेरी माँ,
मैं समझा इस शृष्टि की रचना तेरे हाथों हैं माँ
तु बड़ी दयालु है वो मेरी माँ,
हमें बना लो अपने चरणों की धूल वो मेरी माँ।
एक छोटी सी अर्जी है माँ,
बन कर फुल तेरे चरणों मे सज जाऊँ वो माँ।
अम्मा—पापा के चरणों मे पला मैं,
उनके कर्ज से नहीं पर सेवा से तर जाऊँ वो मैं।



नवरतन तिवारी (युवा कवि) / दैनिक बुद्ध का संदेश बेलानापर

उधर तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि के साथ भी इसी तरह का टकराव चल रहा है। उन्होंने विधानसभा से पास एंटी नीट बिल को रोक दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री एमके रस्टालिन ने तमिल न्यू ईयर के मौके पर राज्यपाल की ओर से आयोजित एट होम कार्यक्रम का बहिष्कार किया। मुख्यमंत्री को राज्यपाल से अपील करनी पड़ी कि वे विधानसभा से पास 21 विधेयकों को मंजूरी दें। राज्य की पाटियों का...

अखीत हितेन्द्री

अजात द्वपद।
इससे पहले शायद ही कभी विपक्ष शासित राज्यों में सरकार और राज्यपाल का ऐसा टकराव देखने को मिला होगा, जैसा अभी देखने को मिल रहा है। गैर भाजपा दलों के शासन वाले लगभग सभी राज्यों में टकराव चल रहा है। संवैधानिक मामलों से लेकर सामान्य प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर भी राज्यपाल और राज्य सरकारें आमने-सामने हैं। दक्षिण में केरल और तमिलनाडु से लेकर पूर्व में झारखण्ड और उत्तर में पंजाब तक यह टकराव देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में भी राज्य सरकार और उप राज्यपाल का लगभग रोज का ही झगड़ा है। महाराष्ट्र में सरकार बदल जाने की वजह से विवाद शांत हुआ है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के देश का उप राष्ट्रपति बन जाने से बाद से कोलकाता में भी शांति है। राज्यों में चल रहे इस तरह के टकराव से राज्यपाल के संवैधानिक पद की गरिमा पर बड़ा सवाल उठ रहा है।

उठ रहा है। ताजा मामला पंजाब के राज्यपाल का है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के राज्य

नफरत रोकने की कोशिश

मीडिया के जरिए पूँजी बढ़ाने का चक्र सत्ता की धुरी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस खेल में सब एक-दूसरे के साथी हैं। अगर सत्ता के लिए नफरत का माहौल मुनासिब है, तो फिर मीडिया घराने इस माहौल को ही बनाने का काम करेंगे। इस काम में कभी-कभी नफरत का अतिरिक्त भी दिख जाता है, तो सवाल उठते हैं कि अब पत्रकारिता के मूल्य कहां खो गए हैं। लेकिन नफरत कम हो ता अधिक...

देश में नफरत फैलाने की सतत कोशिशों के कारण जो दरार समाज में दिखने लगी है, उसे भरने के लिए और भारत को नए सिरे से एकता के सूत्र में बांधने का इरादा लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ा यात्रा निकाल रहे हैं। फिलहाल यात्रा केरल में है और इसे जिस तरह का जनसमर्थन मिल रहा है, उससे पता चलता है कि देश के युवा, बूढ़े, बच्चे सभी भारत को मजबूती से जोड़ने के विचार से उत्साहित हैं।

मानवाधार के मीडिया में दरार यात्रा के दौरान से लेकर परिचित नहीं दर्क।

जाए। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने इस यात्रा के बारे में देशबन्धु से चर्चा के दौरान पहली टिप्पणी यही की कि टीवी पर जो भारत दिखाया जाता है और जिस तरह के मुद्दों पर बहसें की जाती हैं, वह असली भारत नहीं है, ये 15 दिन की यात्रा में समझ आ गया है। श्री खेड़ा के इस बयान से पता चलता है कि देश की असलियत से चौनलों के जरिए परिचित नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि वहां सब कुछ प्रायोजित है, ब्रेकिंग न्यूज़ से लेकर परिचित नहीं दर्क।

जो यह एक मूक गवाह के रूप में क्यों खड़ी है। जरिट्स जासेफ ने सुझाव दिया कि सरकार को एक ऐसी संस्था बनाने के लिए आगे आना चाहिए जिसका पालन सभी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एंकर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जैसे ही आप किसी को हेट स्पीच में जाते हुए देखते हैं, यह एंकर का कर्तव्य है कि वह तुरंत देखें कि वह उस व्यक्ति को आगे कुछ भी कहने के लिए अनुमति ना दे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नफरती बातों के प्रत्यक्ष को गेफ्टरे के लिए की गई दम पट्टन दी दियागया पर्दां पार्श्वी। मीडिया प्रियंका

मुख्यधारा के मीडिया में इस यात्रा के बारे में जानकारियां तो दी जा रही हैं, लेकिन उसके साथ कांग्रेस के भीतर चल रही खटपट, या कांग्रेस कहां कमज़ोर पड़ रही है, ऐसी खबरें अधिक प्रमुखता से दिखाई जा रही हैं। भारत जोड़ा यात्रा में भले रोजाना हजारों लोग स्वतंस्फूर्त तरीके से जुड़ रहे हों, लेकिन बड़े-बड़े समाचार प्रस्तोताओं यानी एंकर्स के लिए उनके बारे में बात करना जरूरी न समझ कर चीतों की बात करना उचित समझ रहे हैं। यहां पसंद अपनी-अपनी, ख्याल अपना-अपना वाला सिद्धांत लागू नहीं होता है, बल्कि सवाल प्राथमिकता का है। अगर भाजपा के छोटे से छोटे अभियान को दिन-रात को दिखाया जा सकता है, तो फिर कांग्रेस के नेतृत्व में निकल रहे एक जरूरी अभियान को उपेक्षित कर्यों किया जा रहा है।

जाहिर है मुख्यधारा के मीडिया का एजेंडा यह है कि किसी भी तरह कांग्रेस को भाजपा के मकाबले कमतर साहित करके बताया न्यूज से लेकर परिचयों तक। खबरों के इस प्रायोजित चलन से पत्रकारिता का नुकसान तो हुआ ही है, देश के ताने-बाने को भी गहरी चोट मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया टिप्पणी में पूछा भी है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रौय की पीठ बुधवार को 11 रिट याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें हेट स्पीच को नियन्त्रित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। बैच में सुर्दर्शन न्यूज टीवी द्वारा प्रसारित श्यापीएसरी जिहादश शो के खिलाफ दायर याचिकाएं, धर्म संसद की बैठकों में दिए गए भाषण, और सोशल मीडिया संदेशों के नियमन की मांग करने वाली याचिकाएं हैं, जो कोविड महामारी को सांप्रदायिक बना रहे थे। इसी दौरान देश की शीर्ष अदालत ने मीडियक सवाल किया कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। अदालत ने भारत सरकार से भी सवाल किया है कि ऊब यह सब हो रहा है कि प्रसार को रोकने के लिए को गई इस पहल से एक दिन पहले ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशिया-पैसिफिक इंस्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकारिंग डेवलपमेंट द्वारा आयोजित एआईबीडी जनरल कॉन्फ्रेंस 2022 में कहा था कि मुख्यधारा की मीडिया को सबसे ज्यादा खतरा ऑनलाइन मीडिया से नहीं बल्कि खुद न्यूज चौनलों से है। उन्होंने टीवी चौनलों के लिए कहा था कि यदि आप ऐसे मेहमानों को चौनलों पर आमत्रित करें जो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो झूटी खबरें फैलाते हैं, और जो जोर-जोर से चिल्लाते हैं, तो इससे आपके चौनल की विश्वसनीयता कम हो जाती है। अदालत के निर्देश और केन्द्रीय मंत्री की चिंताओं को देखकर उम्मीद बंधती है कि पत्रकारिता के पेशे पर जो कालिख पिछले सात-आठ सालों में गहराई है, वह थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन हकीकत ये भी है कि मीडिया के लिए सरोकारों को व्यक्त करने में काफी देरी हो गई है। जैसे छोटे से क्रसार को रोकने के लिए फैलाई जाए, या दबी जुबान से झूट बोलकर या फिर सोशल मीडिया की ट्रोल सेना के जरिए फैलाई जाए, नफरत हर सूरत में समाज के लिए खतरनाक ही होती है।

क नुकाबल कनतर साझा करक बताया स्पाल किया ह क रजष यह सब हा रहा ह करन म काका दरा हा गइ ह। जस छाट स न सनाइ क लए खतरनाक हा हाता ह।

विपक्षी राज्यों में राज्यपालों की भूमिका

जल्दा फैसला करने का कहा था तो राज्यपाल ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वे एक-दिन में फैसला करेंगे लेकिन उसके तीन हफ्ते से ज्यादा हो गए। खुद मुख्यमंत्री ने भी राज्यपाल से मिल कर जल्दी फैसला करने को कहा पर राज्यपाल फैसला नहीं कर रहे हैं।

यह सही है कि राज्यपाल के लिए समय सीमा की बाध्यता नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस तरह वह संवेदनशील मामले में राज्यपाल फैसला अनन्तकाल तक रोक कर रखें। उनके फैसले नहीं करने की वजह से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का प्रारंभ है। आजापा दीर्घ समय

आस्थरता का माहाल हा भाजपा का आरप्रचार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री व सदस्यता जाएगी और उनके चुनाव लड़ पर रोक लगेगी। इस प्रचार के जरिए सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान के मुताबिक राज्य सरकार व ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मानने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है लेकिन संवैधानिक प्रावधान का लूप होल है कि राज्यपाल व लिए उसे स्वीकार करने की समय सीमा नहीं तय की गई है। इसी का फायदा उठाकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंहशारी ने उद्घव ठाकरे सरकार की ओर से विधान परिषद में मनोनयन के लिए भेज गई 12 नामों की सूची डेढ़ साल तक लटकाए रखी। भाजपा समर्थित नई सरकार ने अब वो सारे नाम वापस ले लिए हैं औ नई सरकार नए नाम भेजेगी। हैरानी नहीं होगी अगर राज्यपाल उन नामों को 24 घंटे के अंदर मंजूरी दे दें। बहरहाल, दिल्ली उप राज्यपाल को ही केंद्र सरकार ने असत्य सरकार की मान्यता दे दी है। इसे संसद न मंजूर करा कर कानून बना दिया गया है। अब राज्य की चुनी हई सरकार और वि-

राज्य सरकार न भाजपा के एक नेता का राज्यपाल का एपीएस बनाए जाने का विरोध किया तो राज्यपाल ने मंत्रियों के निजी कर्मचारियों को पेंशन देने की नीति पर सवाल उठाए। राज्य सरकार की ओर से मंजूर किए गए अध्यादेशों को राजभवन ने लंबित कर दिया, जिसकी वजह से 11 अध्यादेश समाप्त हो गए। तो दूसरी ओर राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल के अधिकार कम करने का कानून बना दिया। राज्यपाल ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का समर्थन किया था, जिसे लेकर उनका आरोप है कि हिस्ट्री कांग्रेस में उनको भाषण देने से रोका गया। इस मामले में पहले उन्होंने इरफान हबीब का नाम लिया था और अब कहा है कि सीपीएम नेता कोके रागेश इस घटना के पीछे थे, जो अभी मुख्यमंत्री पीविजयन के निजी सचिव हैं।

